

# શ્રીમતી રાધા

वर्ष : 08 अंक : 297

प्रयागराज, शुक्रवार 10 फरवरी, 2023

## हिन्दी दैनिक

ਪ੍ਰਾਚ—4

मूल्य : 3 रुपया

**विपक्ष ने बजट को बताया 'जनविरोधी' तो  
भाजपा ने गरीब, महिलाओं को समर्पित बताया**



**आप के जरूरी शाह का याचिका पर दिल्ली  
हाईकोर्ट 15 मार्च को करेगी सुनवाई**



## पीएमएमवाई के तहत पिछले 9 वर्षों में 37 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए : भाजपा नेता



The image is a composite of three elements. On the left, there is a portrait of Prime Minister Narendra Modi. To his right is a large, stylized yellow Indian rupee symbol (\$₹\$) with a red border and decorative patterns like dots and lines. To the right of the symbol, the text "प्रधानमंत्री योजना" (Pradhan Mantri Yojana) is written in a bold, sans-serif font, with "प्रधानमंत्री" above "योजना". The background of the entire image is light grey.

## भारतीय सीमा में फिर पाक ड्रोन की घुसपैठ तालाशी अभियान जारी

नई दिल्ला। सामा सुरक्षा बत (बीएसएफ) ने एक बार फिर ड्रोन व जरिए ड्रग्स और हथियार भेजने के पाकिस्तान की साजिश को नाकार कर दिया। पंजाब की अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर घुसे एक पाकिस्तानी ड्रोन को जवानों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर खदेड़ दिया। बीएसएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बीएसएफ ने बताया विद्युधावार रात करीब 9.40 बजे पंजाब के गुरदासपुर में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को गोलीबारी कर खदेड़ा दिया गया। जानकारी व मुताबिक गश्त के दौरान गुरदासपुर सेक्टर के अदिया बीओपी पर बीएसएफ के जवानों को एव पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करते दिखा। इसके बाद जवानों ने ड्रोन पर तकरीबन 16 राउंड गोलीबारी की और रोशनी करने वाले बम भी चलाए। कुछ देर में ही ड्रोन गोलीबारी के चलते फॅसिंग के ऊपर से ही पाकिस्तान की तरफ वापस चल गया। घटना के बाद वरिष्ठ आकारियों को इसकी सूचना दी गयी और इलाके में इस वक्त भी तलाश अभियान चलाया जा रहा है।

**नीरव मोदी के बहनोई की हांगकांग यात्रा पर 4 हफ्ते में फैसला करेगा बंबई हाईकोर्ट, एससी ने दिया निर्देश**



उनकी जांच करने के लिए 'अधिकार पत्र' देने पर सहमति व्यक्त की है। सीबीआई ने अपने निदेशक, बैंकिंग सुरक्षा धोखाधड़ी शाखा, मुंबई के मार्फत बंबई उच्च न्यायालय के 23 अगस्त 2022 के आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने मेहता को हांगकांग की यात्रा करने और वहां तीन महीने रहने की अनुमति दी थी। उच्च न्यायालय ने मुंबई के विशेष सीबीआई न्यायाधीश का आदेश बरकरार रखा था और सीबीआई द्वारा मेहता के खिलाफ जारी लुकाऊत सर्कुलर खारिज कर दिया था और उस हांगकांग जाने की अनुमति दी। मेहता ब्रितानी नागरिक है और वह अपने परिवार के साथ हांगकांग रहता है। वह मुंबई की अदालत समक्ष पेश होने के लिए आठ सितंबर 2021 को भारत आया था।

# जितना कीचड़ उठालोगे, कमल उतना ही खिलेगा : प्रधानमंत्री मोदी



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडाणी समूह से जुड़े मामलों पर विपक्षी दलों के आरोपों के बीच बश्हस्पतिवार को कहा कि उनके ऊपर जितना कीचड़ उछाल जाएगा, कमल उतना ही खिलेगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाच प्रस्ताव पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। 'कमल केंद्र ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का चुनाव चिह्न है। प्रधानमंत्री ने जैसे ही जवाब देने आरंभ किया वैसे ही कांग्रेस, आदि आदमी पार्टी सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य आसन के निकट आ गए और नारेबाजी करने लगे। सदस्यों की नारेबाजी के बीच मोदी ने कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है विह इतने महत्वपूर्ण सदन में कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी ना सिर्फ सदन को बल्कि देश का निराश करने वाली रही है। उन्होंने कहा, 'इस प्रकार की प्रवृत्ति व सदस्यों को मैं यही कहूँगा 'कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल

जो भी जिसके पास था, उसने दिया उछाल। अच्छा ही है। जितना कीचड़ उछालोंगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। मोदी ने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि इसलिए कमल खिलाने में उनका भी प्रत्यक्ष व परोक्ष योगदान है। उन्होंने कहा, 'इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ।' प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नेता मलिकाजुन खरगे का उल्लेख करते हुए कहा कि

उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि कांग्रेस ने साठ सालों में देश में मजबूत बुनियाद रखी और मोदी उसका श्रेय ले रहे हैं। मोदी ने कहा कि जब 2014 में वह देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्हें नजर आया कि 60 साल में 'कांग्रेस' के परिवार ने गड़े ही गड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, 'हो सकता है कि उनका इरादा नेक होगा, लेकिन उन्होंने गड़े ही गड़े कर दिए हैं। जब वह गड़े खोद रहे थे छह-छह दशक बर्बाद कर दिए थे उस समय दुनिया के छोटे-छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थेकू आगे बढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्षी सदस्य अडाणी समूह से जुड़े मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित किए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे।

**कांग्रेस सांसद का लोकसभा में नोटिस, पीएम की अदानी के साथ विदेश यात्राओं की मांगी जानकारी**

**नई दिल्ली।** राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाबदेने के एक दिन बाद कांग्रेस सांसद मनिकमठ टैगेर ने गुरुवार को लोकसभा में स्थगननोटिस देकर अदानी के साथ प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का ब्योरा मांगा। नोटिस में कहा गया है, उद्योगपति गौतम अदानी के साथ प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा और विदेशी टैंडर्स में ग्रुप को मिलने वाले लाभ पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बुधवार को भारत को कमजोर बताने पर विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि देश ताकतवर हो गया है और दूसरे देशों पर दबाव बना रहा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी चर्चा की मांग करते हुए चीन-वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) मुहै पर स्थगन नोटिस दिया। नोटिस में उन्होंने कहा, अप्रैल 2020 से चीन लगातार जमीन हड्डपने में लगा हुआ है। 16 जनवरी 2023 तक भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की 17 दौर की वार्ता हो चुकी है, जिसमें बहुत कम सफलता मिली है। इसके दौरान चीन अपने सैनिकों के लिए पुलों, सड़कों और आवास सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों का निर्माण करना जारी रखे हुए है। चीन एकतरफा तरीके से यथास्थिति को बदलने की कोशिश कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग सेक्टर में झड़पें चीन की स्थिर आक्रामकता दायरे तक सीमित नहीं है, जैसा कि संघर्ष स्थल से लगभग 2000 किलोमीटर दूर अरुणाचल



**अडाणी मानला: हिंडनबर्ग रिपोर्ट की जांच संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट**

**नई दिल्ली।** सुप्रीम कोर्ट उद्योगपति गौतम अडाणी के नेतृत्व वाले कारोबारी समूह पर 'हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट' की जांच के लिए शीर्ष अदालत के एक सेवानिवश्चत्त न्यायाधीश की निगरानी में समिति का गठन करने के बास्ते केंद्र को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की एक पीठ से मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। उन्होंने पीठ से अनुरोध किया कि उनकी याचिका पर मामले में दर्ज अन्य याचिकाओं के साथ शुक्रवार को सुनवाई की जाए। अधिवक्ता तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका में बड़े कारोबारी घरानों को दिए गए 500 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के लिए मंजूरी नीति की निगरानी को लेकर एक विशेष समिति गठित करने के बारे में भी निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। शीर्ष अदालत में पिछले हफ्ते वकील एम. एल. शर्मा ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें अमेरिका की वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के नाथन एंडरसन और भारत तथा अमेरिका में उनके सहयोगियों के खिलाफ कथित रूप से निर्दोष निवेशकों का शोषण करने और अडाणी समूह के शेयर के मूल्य को 'कृत्रिम तरीके से गिराने के लिए मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। 'हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडाणी समूह पर फर्जी लेनदेन और शेयर की कीमतों में हेरफेर सहित कई गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद समूह की कंपनियों के शेयर की कीमतों में भारी गिरावट आई है। अडाणी समूह ने सभी आरोपों को खारिज करते हए कहा कि वह सभी कानूनों और सूचना सार्वजनिक करने संबंधी नीतियों को पालन करता है।





